मै0 हरूसैम माइन्स एण्ड मिनरल्स ग्रामः—उडियार, तहसीलः—दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.08.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 हरूसैम माइन्स एण्ड मिनरल्स ग्रामः—उडियार, तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 4.698 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना— 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 10.07.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 12.08.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2024 प्रातः लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्डएम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना ईआईए अधिसूचना,2006 और इसके बाद के संशोधन के अनुसार ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई है।

क्रमशः—2

प्रस्तावित परियोजना का टीओआर SEIAA उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 17.02. 2024 द्वारा जारी किया गया है। एमओईएफ एण्ड सीसी, नई दिल्ली राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर,2006 और उसमे समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी बी 1 परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिसके तहत जनसुनवाई की जा रही है। प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 43 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्र यथा आवासीय भवन, मोटर मार्ग, पहुँच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युल लाईन व धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है। खदान पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत धूल को दबाने के लिए शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी के छिड़काव का प्राविधान किया गया है। सोपस्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। प्रस्तावित माईन में कार्य करने हेतु 03 पिट प्रस्तावित की गई हैं, माईन में कार्य सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से किया जायेगा, ऊपरी सतह में निकाली गई मिट्टी को लीज क्षेत्र में रखा जायेगा, खदान क्षेत्र में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खदान में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम 05 वर्षों में कुल– 85,000 टन अनुमानित मात्रा का उत्पादन किया जाना है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत के आस–पास मिट्टी के नमूनों की भौतिक विशेषताओं को विशिष्ट मापदण्ड मिट्टी के नमूनों में चालकता 258–288 ओमस्/सेमी से लेकर थी कम थोक धनत्व वाली मिट्टी में अनुकूल भौतिक स्थिति होती है जब कि उच्च थोक धनत्व वाली मिट्टी कृषि फसलों के लिए खराब भौतिक स्थिति प्रदर्शित करती है। परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोत से दूषित नहीं है। परियवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। पेयजल गुणवत्ता मानक सभी भौतिक–रासायनिक मानकों और भूजल नमूनों से भारी धातुएं पीने के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे हैं। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किये गये सभी नमूनों का पीएच मान सीमा के भीतर पाया गया। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किये गये पानी की नमूनों को खतप के लिए फिट पाया गया, अधिकांश भूजल के नमूने आईएस के अनुसार, अनुमेय सीमा के भीतर अच्छी तरह से हैं। सभी नमूनों में अधिकांश भारी धातुएं पता लगाने योग्य सीमा से नीचे है। शोर की निगरानी अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी क्षेत्र के भीतर शोर की गुणवत्ता की स्थिति एमओईएफ मानकों के भीतर है।

क्रमशः–3

खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी औरजब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध–मशीनीकृत विधि से किया जायेगा। अयस्क की कठोर प्रकृति के कारण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जायेगा। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट की कुल धनराशि रू0– 3.70 (लाख में) रखी गयी है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम वर्ष में धनराशि रू0– 8.85 (लाख में) एवं बाद के वर्षों हेतु रू0– 5.10 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सीमा के साथ रिटेनिंग वॉल के लिए पूँजीगत लागत रू0– 1.50 (लाख में) को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस धनराशि को बढ़ाकर रू0– 3.00 (लाख में) किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुय भूमि पर मानसून सत्र के दौरान खेती की जायेगी।

क्रमशः–4

नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना के स्थापित हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार, रॉयल्टी कर और कर्तव्यों के अनुसार राज्य को राजस्व में वृद्धि तथा बेहतर संचार और परिवहन सुविधाएं आदि प्राप्त होगी। खनन उपरान्त खेतों को पूर्व की भांति खेती किये जाने हेतु तैयार कर काश्तकारों को सुपुर्द किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:—

1. श्री विक्रम सिंह खाती ग्राम प्रधान उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर— श्री खाती द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी एवं उपस्थित जनता को लोक सुनवाई में स्वागत करते हुए कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सम्पूर्ण वर्णन ग्रामीणों के सम्मुख किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को परियोजना के माध्यम से वरीयता के आधार पर रोजगार, खनन उपरान्त मुआवजे का ससमय भुगतान किया जाय। खनन से काश्तकारों का नुकसान नहीं होना चाहिए। खनन न्यास की धनराशि से क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दें।
2. श्री बलवन्त सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर— श्री खाती द्वारा बताया गया कि खनन से नुकसान होता है वह भुक्तभोगी हैं। पट्टाधारक खनन से पूर्व जो भी अनुबन्ध काश्तकारों से करते हैं बाद में वह उसको दरकिनार कर मुकर जाते हैं, परन्तु श्री हरूसेम माईन्स में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। पट्टाधारक किसी का आवास, खेत क्षतिग्रस्त कर पैसा कमाते हैं यह अच्छा नहीं है। परियोजना प्रस्ताव से अनुरोध किया गया कि वह खनन से किसी का नुकसान न करें।
3. श्री तारा सिंह ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर— श्री तारा सिंह द्वारा कहा गया कि खनन उपरान्त क्षतिग्रस्त होने वाले खेतों के बारे में तत्काल काश्तकार को सूचित किया जाय। कुछ खनन पट्टाधारक खेतों में कुछ नहीं हो रहा है कहकर खेतों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। खनन कार्य नियमानुसार होना चाहिए।

कमशः—5

4. श्री लक्ष्मण सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा कहा गया कि खनन वाले खेतों में खनन करते हैं पर भुगतान करने के लिए कहो तो मुआवजा नहीं देते हैं। खनन से खेत व रास्ते क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जंगल व गांव के रास्ते टूट चुके हैं कोई भी रास्ता बनाने को तैयार नहीं है। यह भूमि हमारे पूर्वजों की है जिस पर हमने अनाज उगाकर अपना जीवन चलाया है कल को हमारे बच्चे क्या करेंगे खनन से खेतों की पहचान मिट चुकी है। महिलाएं व बच्चे अपने खेतो को कैसे पहचानेंगे। खेतों की नाप जोख होनी चाहिए। पट्टाधारक खनन से पहले खनन का, मिट्टी रखने का, रास्ता बनाने की बात कहते हैं खनन उपरान्त कोई भी कार्य नहीं करते हैं और मुआवजे का भी भुगतान नहीं किया जाता है।
5. श्री संजय भौर्याल (पट्टाधारक प्रतिनिधि)– उपरोक्त टिप्पणियों/आपत्तियों के संदर्भ में पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री संजय भौर्याल द्वारा सर्वप्रथम लोक जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहें अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0नि0, बोर्ड हल्द्वानी, जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित जनता का स्वागत अभिनन्दन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा ही परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो ग्रामीणों की भावनाओं के विपरीत हो हम एक परिवार के रूप में हैं तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है कि वह दुख–सुख में एक दूसरे का ध्यान रखे हम ग्रामीणों का ध्यान रखेंगे। ग्रामीणों की सभी शंकाओं को दूर किया जायेगा।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि खनन से ग्रामीणों को सम्भवतः मुआवजे के संबंध में आशंका रहती है। इस संबंध में परियोजना प्रतिनिधि को चाहिए कि वह प्रतिवर्ष काश्तकारों के साथ एक लिखित अनुबन्ध तैयार कर लें तथा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन ही कार्य करते हुए ससमय काश्तकारों को मुआवजा भुगतान करें यदि किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित पक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। पट्टाधारक प्रतिनिधि से खनन क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक रास्तों, प्राकृतिक पेयजल स्त्रोतों, पेयजल लाईनों को संरक्षित करते हुए खनन कार्य करने, सीईआर लागत में प्राविधानित बजट से स्कूलों में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला प्रस्तावित की गयी है

क्रमशः–6

के सबंध में संबंधित विद्यालय से सम्पर्क कर प्रस्तावित कार्य पर व्यय किये जाने के संबंध में पृच्छा कर ली जाय यदि प्रस्तावित कार्य पर व्यय किये जाने की आवश्यकता न हो तो विद्यालय की अन्य गतिविधियों में विद्यालय की मंजूरी के अनुरूप गावं वालों प्रस्तावानुसार किया जाना उचित होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत रास्तों, नालों, पेयजल लाईनों, प्राकृति जल स्त्रोत व अन्य सार्वजनिक भूमि से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यदि खनन क्षेत्र के रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाते है तो जिला खनन न्यास में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा सकता है। पौधों को लगाने के साथ–साथ इस बात पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि जितने पौधे लगाये जा रहे हैं के सापेक्ष जीवित कितने पौधे बच पा रहे हैं इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रस्तावित खनन का क्षेत्रफल वृहत है, ग्रामीणों से आपसी समन्वय के आधार पर कार्य किया जायेगा तो इसमें सभी को सुविधा होगी।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मै० हरुसैम माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम- उडियार, तहसील- दुगनाकुरी जिला- बागेश्वर द्वारा ग्राम- उडियार, तहसील- दुगनाकुरी, जनपद- बागेश्वर में प्रस्तावित सोप-स्टोन माइनिंग (क्षे०-4.698 हे०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थिति का विवरण:-

परियोजना स्थल:- निकट परियोजना स्थल,
समय एवं तिथि:- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक- 12/08/2024

क्र०/सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन० एस० नबियाल	अपरजिलाधिकारी, बागेश्वर	(हस्ताक्षर)
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी	(हस्ताक्षर)
3.	भरत सिंह रावत	पर्यावरण सलाहकार	(हस्ताक्षर)
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	अनुभाग सहा० उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी	(हस्ताक्षर)
5.	कुन्दन तिवारी	PA to ADM.	(हस्ताक्षर)
6.	लक्ष्मण सिंह	उडियार	लक्ष्मण सिंह
7.	मोहन सिंह स्वाती	उडियार	(हस्ताक्षर)
8.	चंचल सिंह	जलामानी	(हस्ताक्षर)
9.	दीपक धामी	गोगोलीहाट	(हस्ताक्षर)
10.	विक्रम स्वाती	प्रधान उडियार	(हस्ताक्षर)
11.	श्यामसिंह स्वाती	उडियार	बिशनसिंह
12.	दलीपसिंह स्वाती	उडियार	(हस्ताक्षर)
13.	किशन सिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
14.	नरेन्द्रसिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
15.	रवीन्द्र सिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
16.	पूरन सिंह	र ग क उ	(हस्ताक्षर)
17.	मनोज सिंह ओर्याल	प्रधान रिखाडी-कुरौली	(हस्ताक्षर)
18.	दीपक औरल	रा० उ० वि० उडियार	(हस्ताक्षर)
19.	रामसिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
20.	बसन्त सिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
21.	केशर सिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
22.	तारासिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
23.	हिमांशु	उडियार	(हस्ताक्षर)
24.	सुन्दर सिंह	उडियार	(हस्ताक्षर)
25.	मान सिंह स्वाती	"	Parashuram

क्र०	नाम	पता	हस्ताक्षर
	मालसिंह खाती	उडियार	[illegible]
	खुशालसिंह मेहता	जारती	[illegible]
	[illegible] सिंह खाती	उडियार	[illegible]
	आनन्द सिंह खाती	उडियार	[illegible]
	नरेन्द्र सिंह	"	[illegible]
	गोकुल सिंह	"	[illegible]
	Hemant Singh Khati	उडियार	[illegible]
	कमल सिंह खाती	उडियार	
	Sanjay Bhariyal	Jalmani	Kapial [illegible]

जन सुनवाई
खनन परियोजना – मै० हरूसैम माइन्स एण्ड मिनरल्स
उडियार सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.698 है0)
ग्राम व पो0 – उडियार, तहसील – दुग्नाकुरी, जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सुनवाई स्थल – उडियार, बागेश्वर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 12 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक –संजय भौर्याल व अन्य
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0